



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 को)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: रूडमि/१४२/२०२१/१३०(H)

दिनांक: 12/6/25

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किये जाने के परिणाम स्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

मन्या शर्मा

(प्रो.कल्पना शर्मा)

कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव कार्यालय
- डॉ. संजीव यादव, लोक सूचना अधिकारी
- डॉ. मेघा साहू, सहायक आचार्य एवं कोर्डिनेटर, आईसीटी- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने बावत।
- व्यक्तिगत पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
- संबंधित पंजी